



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241041  
CG-DL-E-13122022-241041

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5583]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 5583]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5819(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के सोनितपुर जिले में एनएच-37A की कि.मी. 9.28 से कि.मी.17.300 (कालियाभोमोरा पुल से डोलाबारी खंड) तक, एनएच 37A की कि.मी. 17.300 से एनएच 52 का कि.मी. 182.300(डोलाबारी से पंचमील-नापाम-चौकीघाट-जमुगुरीखंड) (डी सी ऑफिस तेज़पुर सोनितपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

असम राज्य के सोनितपुर जिले में एनएच -37A की कि.मी. 9.280 से कि.मी. 17.300 (कालियाभोमोरा पुल से डोलाबारी खंड) तक, एनएच 37A की कि.मी. 17.30 से एनएच 52 का कि.मी. 182.300 (डोलाबारी से पंचमील-नापाम-चौकीघाट-जमुगुरीखंड) (डी सी ऑफिस तेज़पुर सोनितपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: सोनितपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चारीदुआर					
गांव का नाम: कोराकनी					
1	137 / PP-106	निजी	एग्री (साली )	0.1130000(हेक्टेयर )	0.1130000
2	400 / PP-27	निजी	रेसी (बी. बारी )	0.0480000(हेक्टेयर )	0.0480000
3	424/PP-155	निजी	रेजिडेंट बारी	0.0110000(हेक्टेयर )	0.0110000
गांव का नाम: संधारा					
1	77/AP-10	निजी	एग्री( लहितोली )	0.0150000(हेक्टेयर )	0.0150000
तालुक का नाम: नादुआर					
गांव का नाम: मजचुक					
1	102/ PP-212	निजी	साली	0.0670000(हेक्टेयर )	0.0670000
गांव का नाम: सरभागिए					
1	152/PP-199	निजी	साली	0.0140000(हेक्टेयर )	0.0140000
2	153/PP-259	निजी	साली	0.0650000(हेक्टेयर )	0.0650000
3	154/PP-18	निजी	साली	0.0220000(हेक्टेयर )	0.0220000
4	174/AP	निजी	साली	0.0130000(हेक्टेयर )	0.0130000

तालुक का नाम: तेज़पुर					
गांव का नाम: उरियंगुरी					
1	3/PP-57	निजी	रेज़ीडेंट बारी	0.0600000(हेक्टेयर )	0.0600000
कुल				0.4280	0.4280

[फा. सं. 50009/LA/D-J/NHIDCL/Tez/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

**S.O. 5819(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of land from Km 9.28 to 17.30 (Kaliabhomora bridge to Dolabari section) of NH-37A, Km 17.30 of NH 37A to 182.300 of NH 52 (Dolabari to Panchmile-Napam-Chowkighat-Jamuguri Section) of NH 52 (DC Office Tezpur, Sonitpur) in the district of SONITPUR in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

## SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling land from Km. 9.28 to 17.300 (Kaliabhomora bridge to Dolabari section) of NH-37A, Km. 17.300 of NH 37A to 182.300 of NH 52 (Dolabari to Panchmile-Napam-Chowkighat-Jamuguri Section) of NH 52 (Dc Office Tezpur Sonitpur) in the district of SONITPUR in the state of ASSAM.**

State: ASSAM		District: SONITPUR			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Chariduar</b>					
<b>Village: Korakani</b>					
1	137 / PP-106	Private	AGRI (SALI)	0.1130000(Hectare )	0.1130000
2	400 / PP-27	Private	RESI (B. BARI)	0.0480000(Hectare )	0.0480000
3	424/PP-155	Private	resident bari	0.0110000(Hectare )	0.0110000
<b>Village: Samdhara</b>					
1	77/AP-10	Private	Agri( Lahitoli)	0.0150000(Hectare )	0.0150000

<b>Taluk: Naduar</b>					
<b>Village: Majarchuk</b>					
1	102/ PP-212	Private	Sali	0.0670000(Hectare )	0.0670000
<b>Village: Sarubhagia</b>					
1	152/PP-199	Private	Sali	0.0140000(Hectare )	0.0140000
2	153/PP-259	Private	Sali	0.0650000(Hectare )	0.0650000
3	154/PP-18	Private	Sali	0.0220000(Hectare )	0.0220000
4	174/AP	Private	Sali	0.0130000(Hectare )	0.0130000
<b>Taluk: Tezpur</b>					
<b>Village: Uriamguri</b>					
1	3/PP-57	Private	resident bari	0.0600000(Hectare )	0.0600000
<b>Total</b>				<b>0.4280</b>	<b>0.4280</b>

[F. No. 50009/LA/D-J/NHIDCL/Tez/3A]

RAJESH GUPTA, Director